

आदेश

श्री तेजिन्द्र सिंह, सर्वेयर (भवन निरीक्षक), नगर परिषद्, अम्बाला सदर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

इस कर्मचारी को निलम्बन अवधि के दौरान हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के अनुसार गुजारा भत्ता दिया जाएगा।

स्थान: पंचकुला
दिनांक 07.01.2020

अमित कुमार अग्रवाल,
महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला।

पृ0 क्रमांक: डी.यू.एल.बी./प्रशा/1ए/2020/ 928-30

दिनांक:-07.01.2020

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. उपायुक्त, अम्बाला।
2. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद्, अम्बाला सदर।
3. श्री तेजिन्द्र सिंह, सर्वेयर (भवन निरीक्षक), नगर परिषद्, अम्बाला सदर।

अधीक्षक (प्रशा0),

कृते: महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला।

CC:-

1. PS/ULBM
2. PS/PSULB
3. PA/DGULB
4. PA/ADULB
5. Nodel Officer (Web Portal)